कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक/पर्यटन/160 भोपाल, दिनांक 19-3-2020

// आदेश //

COVID 19 वायरस के प्रसार से उपजी परिस्थितियों, स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, शासकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं COVID 19 वायरस के प्रसार पर नियंत्रण की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश क्र./पर्यटन/159 दिनांक 19.03.2020 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से 31.03.2020 तक मध्य प्रदेश के समस्त संरक्षित क्षेत्रों को एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर पर्यटन हेतु पूर्णतः बंद किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा–28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से उक्त दिनांकों हेतु अग्रिम रूप से जारी समस्त प्रकार के पर्यटन अनुज्ञा पत्र जिसमें फिल्मांकन अनुमति भी सम्मिलित है, निरस्त किये जाते हैं।

19/3/2020

(राजेश श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल.

पृ0क्रमांक/पर्यटन/2150 भोपाल, दिनांक/19-3-2020

प्रतिलिपिः1. अपर मुख्य सचिव (वन), म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण), नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव (पर्यटन), म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान/माधव राष्ट्रीय उद्यान/कूनो राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र.
7. वनमंडलाधिकारी, वन्यप्राणी वनमंडल, नौरादेही, सागर/कूनो पालपुर/सतना
8. समस्त वनमंडलाधिकारी (जिनके अधीन अभयारण्य हैं)
9. श्री शालीन विर्मानी, बिजनेस मैनेजर, एमपीऑनलाइन, भोपाल उक्त दिनांकों हेतु प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व्स के कोर, बफर क्षेत्र एवं विशिष्ट पर्यटन स्थलों के लिये जारी समस्त अग्रिम अनुज्ञा पत्र निरस्त कर पूर्ण राशि संबंधित बुकिंगकर्ता को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल.